संख्या- 63 /2024/ २०६६ /छिहत्तर-1-2024/ -1739613

प्रेषक,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक २९ अगस्त, 2024

विषयः- 'प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024' के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में हैं तथा भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये जल जीवन मिशन के अंतर्गत विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है तथा कतिपय योजनाएं निर्माणाधीन एवं अपने अंतिम चरण में हैं। पूर्व निर्मित तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्मित / निर्माणाधीन ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सुस्पष्ट विस्तृत नीति की आवश्यकता के दृष्टिगत एक विस्तृत नीति 'उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024' तैयार की गई है।

2- अतः प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित नीति की प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न नीति के प्राविधानों के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

Signed by
Ambrish Kumar Singh
(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
Date: 29-08-2024 11:56:15
संयुक्त सचिव।

संख्या- 63 /2024/ 2066 (1) /छिहत्तर-1-2024/1739613, तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन।

(2) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(6) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

(7) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(8) समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(9) विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1 के पत्र संख्या-4/2/8/2024-सी.एक्स(1) दिनांक 27 अगस्त, 2024 के क्रम में।

(10)गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Om Prakash Chauhan
Date: 29-08-2024 12:19:18

(ओम प्रकाश चौहान)
अनु सचिव।

"उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं की संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024"

1-उद्देश्यः-

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित करते हुये ग्रामवासियों को निर्धारित मानक के अनुरुप स्वच्छ पेयजल की सतत् एवं पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति सुनिश्चित करना।

2- कार्यक्षेत्रः-

यह नीति उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की पाइप पेयजल कार्यक्रमों/योजनाओं पर लागू होगी। साथ ही यह उन सभी विभागों/संस्थाओं पर भी लागू होगी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण से सम्बन्धित है। कार्यदायी विभागों/संस्थाओं द्वारा भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की वेबसाइट (https://jalshakti-ddws.gov.in/sites/default/ manual_on_operation_and_maintenance _ of_ RDWS .pdf) पर उपलब्ध पुस्तिका (O & M.Manual) के निर्देशों तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का पालन किया जाएगा।

3- परिभाषाः-

- **'संचालन एवं अनुरक्षण नीति'** का तात्पर्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण से है। संचालन का अर्थ पाइप पेयजल योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण का अर्थ इन योजनाओं के समुचित रख-रखाव से है।
- **'संचालन'** का तात्पर्य विविध कुशल/तकनीकी व्यक्तियों द्वारा पेयजल योजनाओं के विभिन्न अंग या घटकों यथा-हेडवर्क, पम्पिंग यूनिट, ट्रीटमेन्ट प्लांट, राइजिंग/फीडर मेन्स, सर्विस रिजरवायर एवं जल वितरण प्रणाली आदि के प्रतिदिन संचालन का कार्य नियमित रूप से किया जाना है। इसमें वार्ड एण्ड वाच एवं विद्युत देयको का दायित्व भी सम्मिलित है।
- **'अनुरक्षण'** का तात्पर्य ढांचा, प्लांट, मशीन एवं उपकरण तथा अन्य सुविधाओं को आदर्श रूप में क्रियाशील रखने से है। इसमें सुधार/निरंतर अनुरक्षण तथा ब्रेकडाउन आदि अनुरक्षण सम्मिलित है।
- **'ग्राम सभा'** का तात्पर्य उस ग्राम पंचायत में निवास करने वाले व्यक्तियों, जिनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित है, के निकाय से है।

- **'ग्राम पंचायत'** का तात्पर्य ऐसी स्वशासी संस्था से है, जिसका गठन उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 तथा भारतीय संविधान (73वॉ संविधान संशोधन अधिनियम 1992) के प्राविधानों के अनुसार किया गया हो।
- **'पंचायत क्षेत्र'** का अर्थ ग्राम पंचायत के भू-भाग तथा कार्यक्षेत्र से है।
- **'वी0डब्ल्यू0एस0सी0'** का अर्थ ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (Village Water and Sanitation Committee) है। इस समिति का कार्य एवं दायित्व ग्राम पंचायत के अन्तर्गत पेयजल एवं स्वच्छता से सम्बन्धित सभी मामलों की देख-रेख करना है।
- **'संचालन समिति'** का तात्पर्य एकल ग्राम योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति से है।
- **'संयुक्त संचालन समिति'** का तात्पर्य बहुल ग्राम पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में गठित समिति से है। बहुल ग्राम पेयजल योजना हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों की संयुक्त संचालन समिति का गठन किया जायेगा। योजना का जलकल परिसर, जिस ग्राम पंचायत में होगा उस ग्राम पंचायत के पेयजल एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष तथा अन्य ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा नामित 2-2 सदस्य को मिलाकर संयुक्त संचालन समिति का गठन किया जायेगा। संयुक्त संचालन समिति के कोषाध्यक्ष का चुनाव इसी समिति द्वारा किया जायेगा।
- **'जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति'** (District Water and Sanitation Committee-DWSC) का तात्पर्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की कार्यकारी समिति से है।
- भू-जल आधारित पेयजल योजना का तात्पर्य ऐसी पाइप पेयजल योजना से है, जिसमें जल का स्रोत भू-जल होगा।
- सतही स्रोत आधारित पेयजल योजना का तात्पर्य ऐसी पाइप पेयजल योजना से है, जिसमें जल का स्रोत नदी, जलाशय, बांध के जलाशय, नहर, झील इत्यादि है।
- **'एकल ग्राम योजना'** का तात्पर्य ऐसी पाइप पेयजल आपूर्ति योजना से है, जिससे केवल एक राजस्व ग्राम की जनसंख्या लाभान्वित होती है।
- **'बहुल ग्राम योजना'** का अर्थ ऐसी पाइप पेयजल आपूर्ति योजना से है, जिससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों की जनसंख्या लाभान्वित होती है।
- **'लाभान्वित जनसंख्या'** का अर्थ उस जनसंख्या से है, जिसके लिए योजना बनायी गयी है।
- **'कमीशनिंग'** का तात्पर्य योजना में ओवरहेड टैंक, ट्यूबवेल तथा वितरण प्रणाली के निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त जलापूर्ति अंतिम बिन्दु तक पहुचाने से है।

- **'यूजर जार्च'** (Tariff) का तात्पर्य कोई भी वह शुल्क है, जो पेयजल उपलब्ध कराने के एवज में वसूला जाता है।

4- **<u>योजनाओं का हस्तांतरण</u>**:-

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भूजल आधारित एकल ग्राम पेयजल योजना (SVS) का हस्तांतरण ग्राम पंचायत को, भूजल आधारित बहुल ग्राम पेयजल योजना (MVS) का हस्तांतरण संयुक्त संचालन समिति को तथा सतही स्रोत आधारित बहुल ग्राम पेयजल योजना (MVS) का हस्तांतरण जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) को कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा इस नियमावली के लागू होने के पूर्व में निर्मित पी0डब्ल्यू0एस0 (PWS) का हस्तान्तरण ग्राम पंचायत, संयुक्त संचालन समिति अथवा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को, (उपरोक्तानुसार जैसी भी स्थिति हो) को तत्काल कराया जायेगा और भविष्य में भी योजनाओं के पूर्ण होने के तत्काल बाद उपरोक्तानुसार यथा प्रक्रिया हस्तांतरण कराया जायेगा।

5- **संचालन एवं अनुरक्षण हेतु संस्थाः-**

(अ)<u>भूजल आधारित योजनायें</u>:-

(क)<u>एकल ग्राम पेयजल योजनाः</u>-

(1) जल जीवन मिशन से इतर निर्मित समस्त पाइप पेयजल योजनाओं तथा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पुनर्गठन की योजनाओं, रेट्रोफिटिंग की योजनाओं एवं अन्य ग्रामों में उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा निर्मित विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं का संचालन एवं रख-रखाव उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा वेण्डर्स के माध्यम से कराया जायेगा।

(2) जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा चयनित वेण्डर्स के माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं के दस वर्ष तक संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य संबंधित वेण्डर्स के माध्यम से उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा कराया जायेगा तथा दस वर्ष के पश्चात् योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य उपरोक्त प्रस्तर (1) में वर्णित व्यवस्थानुसार उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा कराया जाएगा।

(3) उपरोक्तानुसार संचालन और अनुरक्षण सम्बन्धित ग्राम पंचायत के पर्यवेक्षणाधीन होगा।

(ख) **बहुल ग्राम पेयजल योजना:-**

(1) जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पुनर्गठन की योजनाओं, रेट्रोफिटिंग की योजनाओं, जल जीवन मिशन से इतर निर्मित समस्त पाइप पेयजल योजनाओं एवं अन्य ग्रामों में उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा निर्मित विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा वेण्डर्स के माध्यम से कराया जायेगा।

(2) जल जीवन मिशन के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के दस वर्ष तक संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य संबंधित वेण्डर्स के माध्यम से उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा कराया जायेगा तथा दस वर्ष के पश्चात् योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य उपरोक्त प्रस्तर (1) में वर्णित व्यवस्थानुसार उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा कराया जाएगा।

(3) उपरोक्तानुसार संचालन और अनुरक्षण सम्बन्धित संयुक्त संचालन समिति के पर्यवेक्षणाधीन होगा।

(ब) सतही स्रोत आधारित योजनायें:-

(1) जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पुनर्गठन की योजनाओं, रेट्रोफिटिंग की योजनाओं, जल जीवन मिशन से इतर निर्मित समस्त पाइप पेयजल योजनाओं एवं अन्य ग्रामों में उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा निर्मित विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा वेण्डर्स के माध्यम से कराया जायेगा।

(2) जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा चयनित वेण्डर्स के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही सतही स्रोत आधारित बहुल ग्राम पेयजल योजनाओं के दस वर्ष के संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य सम्बन्धित वेण्डर्स के माध्यम से उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा कराया जाएगा तथा दस वर्ष के उपरान्त इनका संचालन एवं अनुरक्षण उपरोक्त प्रस्तर (1) में वर्णित व्यवस्थानुसार उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा कराया जाएगा।

(3) उपरोक्तानुसार संचालन एवं अनुरक्षण जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) के नियंत्रणाधीन किया जाएगा।

6- यूजर चार्जेज- (उपभोक्ता शुल्क):-

पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी परिवार से लिये जाने वाले यूजर चार्जेज की न्यूनतम दर प्रति गृह नल संयोजन राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आवश्यकता एवं संचालन लागत के आधार पर निर्धारित की जा सकेगी। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा जल उपभोक्ताओं को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करते हुए, उनसे वसूली जाने वाली यूजर चार्जेज की धनराशि का निर्धारण किया जाएगा।

घरेलू/व्यावसायिक उपयोग हेतु जलमूल्य की दरें पृथक-पृथक रखी जायेगी। व्यावसायिक उपयोग हेतु जल मूल्य की दरें सामान्यतः घरेलू उपयोग हेतु निर्धारित जलमूल्य की दरों से न्यूनतम दो गुनी अथवा अधिक निर्धारित की जा सकेगी।

उपर्युक्त रीति से जल मूल्य का निर्धारण निर्धारित समयान्तराल पर पुनर्निर्धारित किया जाएगा।

7- वित्तीय प्रबन्धन-

(1) लाभार्थी परिवार से जल मूल्य संग्रहण (पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित) का उत्तरदायित्व सम्बंधित ग्राम पंचायत का होगा। संग्रहित जल मूल्य ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति की संचालन एवं अनुरक्षण निधि में रखा जायेगा। यदि ग्राम, बहुल ग्राम योजना में शामिल है तो जल मूल्य संग्रहण के उपरान्त इसे 'संयुक्त संचालन एवं अनुरक्षण निधि / जिला पेयजल संचालन एवं अनुरक्षण निधि' को उपलब्ध कराया जायेगा। जल मूल्य संग्रहण में कठिनाई आने पर सम्बंधित ग्राम पंचायत द्वारा कार्यदायी संस्था से समन्वय कर नियमानुसार वसूली की कार्यवाही करायी जायेगी। जल मूल्य का संग्रहण, स्वयं सहायता समूह की महिला मण्डली को "जल सखी" के रूप में उत्तरदायी बनाते हुए अथवा ग्राम पंचायत सहायक द्वारा अथवा पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित अन्य व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। जल मूल्य का संग्रहण करने वाले कार्मिक को एतदर्थ मानदेय के अतिरिक्त वह धनराशि, जो पंचायती राज विभाग निर्धारित करे, देय होगी।

(2) प्रत्येक ग्राम सभा से उपरोक्तानुसार कुल जितने यूजर-चार्जेज की वार्षिक वसूली की जानी होगी, उसके उस अनुपात में, जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा, राज्य स्तर (At Source) पर ग्राम पंचायतों को दी जाने वाली राज्य वित्त आयोग की धनराशि से कटौती की जायेगी।

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत को राज्य वित्त आयोग से अन्तरित होने वाली धनराशि में से, उतने अंश की कटौती, राज्य स्तर (At Source) पर की जा सकेगी, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(4) प्रस्तर 7 के उप प्रस्तर (1), (2) एवं (3) के अनुसार समुचित धनराशि की व्यवस्था नहीं हो पाने पर आवश्यक धनराशि की व्यवस्था राज्य के संसाधनों से की जायेगी।

(5) पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु वित्तीय प्रवन्धन राज्य सरकार द्वारा प्रस्तर-7 के उप प्रस्तर (1) (2), (3) एवं (4) में वर्णित व्यवस्थानुसार वसूली, राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि तथा राज्य के संसाधनों से प्राप्त होने वाली धनराशि को समाहित करते हुए वार्षिक अनुरक्षण एवं संचालन हेतु वांछित समस्त धनराशि की व्यवस्था राज्य बजट के माध्यम से की जायेगी।

(6) विभिन्न पेयजल योजनाओं के विद्युत बिलों का भुगतान राज्य स्तर पर किया जाएगा। तत्प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

(7) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वेण्डर्स द्वारा प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन (एफ0एच0टी0सी0) को 55 एल0पी0सी0डी0 (लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) के मानक के अनुसार गुणवत्तायुक्त जल की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी और तदनुसार ही वेण्डर्स को अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार मासिक रूप से O&M (ऑपरेशन एण्ड मेन्टीनेंस) की धनराशि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से स्थानान्तरित की जायेगी।

पेयजल आपूर्ति के अनियमित होने की दशा में वेण्डर्स के भुगतान में अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार यथोचित कटौती की जा सकेगी। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गुणवत्तायुक्त जल की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रमाणीकरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत, संयुक्त संचालन समिति अथवा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (जैसी भी स्थिति हो।) से कराया जाता रहे। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा इस प्रयोजन हेतु एक INTERACTIVE PORTAL विकसित किया जाएगा, जिसके माध्यम से उपरोक्तानुसार नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

8- अनुश्रवण एवं शिकायतों का निस्तारणः-

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा जनपद स्तर पर शिकायतों के निस्तारण हेतु एक प्रभावकारी तंत्र विकसित किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा तथा राज्य स्तर पर प्रदेश स्तरीय नामित संस्था द्वारा शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा।

Signed by
Ambrish Kumar Singh
Date: 29-08-2024 11:55:08